


कार्यालय नजारत जनपद न्यायालय ,देवरिया ।


नीलामी सूचना ।


माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं०-203/इन्फा-सेल. इलाहाबाद दिनांकित 14.03.2021 के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश दिनांक-15.03.2021 के आलोक में सर्व साधारण सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय,देवरिया के आवासीय परिसर स्थित पुराना आवास सं०-जे-1 एवं जे-2 के ध्वस्तीकरण की नीलामी दिनांक 24.03.2021 को अपराह्न 4 बजे दस कक्षीय न्यायालय भवन स्थित सभागार कक्ष में नीलामी समिति के समक्ष सम्पन्न होगी । उक्त आवासों के ध्वस्तीकरण कार्य हेतु रु- 02.65 लाख की धनराशि मुल्यांकित है । इच्छुक फर्म / ठेकेदार दिनांक 18.03.2021 से 24.03.2021 के मध्य किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:30 से बजे से अपराह्न 3 बजे के मध्य उक्त आवासों का स्थलीय निरीक्षण कर शर्तों के अधीन नीलामी में भाग ले सकते हैं ।

नीलामी की शर्तें निम्नवत् हैं:-

- 1- नीलामी में भाग लेने हेतु मु०-30,000/- (रुपये तीस हजार मात्र) की नकद धनराशि बतौर जमानत की धनराशि नजारत जजी देवरिया में अग्रिम जमा करना होगा । बिना जमानत की धनराशि जमा किए कोई भी व्यक्ति नीलामी में भाग नहीं ले सकता । जमानत की जमा धनराशि नीलामी की समाप्ति व बोली स्वीकृत न होनी की दशा में संबंधित व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा ।
- 2- नीलामी में कोई भी व्यक्ति किसी दुसरे व्यक्ति के लिए बोली नहीं बोल सकता जब तक की नीलामी से अनुपस्थित व्यक्ति का लिखित प्राधिकार पत्र उसके पास न हो ।
- 3- नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीकर्ता को अपने निवास के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र / आधार कार्ड की स्व -हस्ताक्षरित छाया प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- 4- नीलामी में भाग लेने वाला व्यक्ति जनपद न्यायालय का कर्मचारी अथवा समिति का सदस्य या उनका कोई रिश्तेदार नहीं होना चाहिए ।
- 5- नीलामी संतोषजनक सम्पन्न होने पर उच्चतम बोली बोलने वाले बोलीकर्ता को नीलामी की 10 प्रतिशत धनराशि नीलामी समाप्त होने के तुरन्त बाद अर्नेस्ट मनी के रूप में नकद जमा करना होगा शेष धनराशि जमा किए जाने हेतु आवश्यक आवेदन पत्र नजारत जजी देवरिया में प्रस्तुत करना होगा ।
- 6- नीलामी स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, देवरिया के पास सुरक्षित हैं ।
- 7- उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन करने पर नीलामी की कार्यवाही निरस्त किया जा सकता है ।
- 8- आवासों के ध्वस्तीकरण से प्राप्त मलवे के ढुलान हेतु केन्द्रीय नजारत जजी,देवरिया से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना आवश्यक है ।


(लोकेश कुमार),
सदस्य,
नीलामी समिति,
जजी, देवरिया ।


(शाश्वत पाण्डेय),
सदस्य,
नीलामी समिति
जजी, देवरिया ।


(अजय कुमार),
अध्यक्ष,
नीलामी समिति,
जजी, देवरिया ।